संख्या–2–ई.एम./2001–का–4–2008

प्रेषक,

प्रशान्त कुमार मिश्र,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 08 अप्रैल, 2008

विषयः– कर्मचारी संगठनों की मांगों के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 8.12.2004 एवं दिनांक 22.6.2006 में यह निर्देश निर्गत किये गये थे कि प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों के स्तर पर, मान्यता प्राप्त सेवा संगठनों की मांगों पर बैठकें आहूत कर, समस्याओं का निराकरण कराया जाय। इसी प्रकार महासंघों/परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग के द्वारा बैठकें आहूत कराकर समस्याओं का निराकरण कराया जाय।

2– सेवा संगठनों द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि विभागों द्वारा अपने नियन्त्रणाधीन संघों की मांगों पर विचार विमर्श हेतु बैठकें आहूत नहीं की जा रही हैं जिससे उनके द्वारा मेरे स्तर पर बैठकें आहूत किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। उक्त स्थिति उचित नहीं कही जा सकती है। अतः पूर्व में लिये गये निम्न निर्णयों से आपको पुनः अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) विभिन्न मान्यता प्राप्त सेवा संघों की मांगों पर, प्रत्येक माह विभागीय प्रमुख सचिवों/सचिवों के स्तर पर बैठकें आहूत कर समस्याओं का निराकरण कराया जाय।
(2) मान्यता प्राप्त महासंघों/परिसंघों की मांगों पर कार्मिक विभाग द्वारा बैठकें आहूत कराकर समस्याओं का निराकरण कराया जाय।

3– कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(प्रशान्त कुमार मिश्र)
मुख्य सचिव